न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 36 / 16 निर्णय दिनांकः– 14–11–2019
(आरसीएमएस नम्बर 2016 / 00382)

1. सोमादेवी पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी कोटड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. छिन्द्रकौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी कोटड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रायसिख निवासी कोटड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. प्यारासिंह वल्द शंकरसिंह जाति रायसिख निवासी कोटड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. ओमप्रकाश उर्फ सतगुरू ओमदास पुत्र रामकिशन जाति शर्मा निवासी ग्राम बस्ती चौहानान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. पदमादेवी पत्नी केशुराम जाति जाट निवासी बीछवाल तहसील व जिला बीकानेर।
3. दिनेश गहलोत पुत्र सत्यानन्द गहलोत जाति गहलोत निवासी रामपुरिया मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06–08–2015
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
4. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–08–2015 जिसके द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के हक, हकूको व हितों की अनदेखी की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

(4) अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें केआधार पर अपीलाधीन डिक्री व पूर्व डिक्री दिनांक 03–07–2015 पारित की गई है। जबकि विभाजन के मामलों में यह सुस्थापित विधि है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में उनके धारण की भूमि व सहमति के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रेषित करावें। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह अंकित भी किया है कि मौके पर कब्जे बात् रिपोर्ट ली जानी आवाश्यक है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 में प्रावधान निहित है। जिसके अनुसारः–

<u>नियम 18 – जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना</u> – एक जोत के विभाजन तथा लगाने के कारण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुतार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा।

<u>नियम 19 – करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन</u> – यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सहअभिधारी किसी करार पर आते है तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा।

<u>नियम 20 – सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन</u> – नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गये वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वो बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्वान्तों का पालना किया जावेगा।

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपाति होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहॉ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ) जहॉ तक संभव है, विद्यमान खेतों के टुकड़ें नहीं किये जायेंगे।

समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अपीलांट्स द्वारा तत्समय किसी प्रकार की कोई अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–08–2015 के विरूद्व 30–05–2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है। जबकि वे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। लिहाजा वे इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकते कि उन्हें आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1998 एससी पेज 2276 व आरबीजे 2000 पेज 71–72 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 13–07–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14–05–2015 क अनुसार पत्रावली जवाब हेतु कैम्प गजनेर में पेश करने हेतु निर्धारित की गई। तत्पश्चात् पत्रावली पर स्टेट का जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि **"बिन्दु संख्या 1 व 2 रिकार्ड स्तर पर स्वीकार है। मौके पर कब्जा बाबत् रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है।"** ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय

(ड़) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

<u>करार द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा जोत का विभाजन</u>

<u>नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन करना –</u> तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गा भू–खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

(5) प्रस्तुत मामलें में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नजरी नक्शा तैयार करते समय संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं आकर पटवारी द्वारा नजरी नक्शें तैयार करना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जोकि विभाजन के नियम 21 की पूर्णरूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना विभाज प्रस्ताव प्राप्त किये व अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से जोत के विभाजन के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का का आदेश व डिक्री दिनांक 06–08–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 14–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी डिक्री दिनांक 03—07—2015 को केवल मात्र वादी ओमप्रकाश के खाते का विभाजन करते हुए अलग खाता करते हुए विभाजन करने के आदेश प्रदान किये गये थे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित करते। उक्त तथ्य सामने आने पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र वादी के हक व हिस्से के विभाजन के आदेश पारित किये गये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चूंकि वादपत्र में सभी पक्षों अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का खाता विभाजन करते हुए आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। अतः दिनांक 03—07—2015 को पारित डिक्री में संशोधन करके नजरी नक्शें में अकित सभी हिस्सेदारान् के खातों का विभाजन करके अलग—अलग खाता विभाजन कायम करने के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया तथा वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी आये। जिस पर वादी की तरफ से अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा उनके अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति तत्समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि उन्हें आदेश जैर अपील की भलीभांति जानकारी थी तथा उक्त आदेश से वह सहमत थे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दावा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तथा उसी के अनुरूप कब्जे काश्त के अनुसार व पक्षकारों के धारण की भूमि के संबंध में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया था उसी के अनुसार डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में केवल मात्र वादी के पक्ष में विभाजन की डिक्री जारी की गई थी तथा तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दावे के अनुसार ही पक्षकारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि अनुरूप ही पुनः संशोधन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का उक्त निर्णय से व्यथित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट्स यदि वादग्रस्त भूमि के विभाजन से किसी प्रकार से व्यथित थे तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्व में दिनांक 03—07—2015 को जारी विभाजन की डिक्री की अपील न्यायालय हाजा के

को चाहिए था कि वे वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करते। चूंकि अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विपरीत जाकर पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके रोही बस्ती चौहानान के खसरा नम्बर 41 तादादी 8.19 हेक्टर, जिस पर वादी का 1.27 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2.47 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 0.53 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 0.76 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1. 90 हेक्टर हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1.26 हेक्टर हिस्सा दर्ज चला आ रहा है के विभाजन का दावा प्रस्तुत करते हुए सभी पक्षों के मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि के अनुसार विभाजन की इस्तदुआ की गई थी। उक्त वादपत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट का सहारा लेते हुए एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार केवल मात्र वादी के हक व हिस्से तक की डिक्री पारित की गई है। **इस तथ्य की ताईद अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से साबित है। आदेशिका दिनांक 27—05—2015 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि दोनों पक्षों में सहमती नहीं है तथा आगे की तारीख का निवेदन किया।** तत्पश्चात् दिनांक 25—6—2015 को सभी पक्षों की सहमति के मुताबिक विभाजन की डिक्री जारी करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये। इस प्रकार स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का उल्लंधन करते हुए मात्र कैम्प कोर्ट के आंकड़े बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश दिनांक 25—06—2015 पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत तरीके से आदेश पारित करते ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में नहीं आना पड़ता। राज्य सरकार की कैम्प कोर्ट आयोजन की मंशा यह रही है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो वहाँ सभी पक्षों की मौजूदगी में कैम्प कोर्ट में प्रकरणों का निस्तारण किया जाये।

अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित डिक्री का प्रश्न है, उक्त डिक्री दिनांक 06—08—2015 को प्रतिवादी संख्या 6 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत पारित की गई है। उक्त दिनांक 06—08—2015 की आदेशिका में भी केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 की उपस्थिति अंकित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश जैर अपील

न्यायालय द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत करने व आगामी तारीख पेशी की जानकारी प्राप्त करने का कथन किया गया। उपरोक्त स्थिति के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से आदेश जैर अपील पारित करते हुए पूर्व में जारी डिक्री में संशोधन करते हुए पुनः संशोधित डिक्री जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कोई आदेश पारित भी करना था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना चाहिए था। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि जब वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 की उपस्थिति में व वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें व जमाबन्दी के अनुसार विभाजन किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में सीधे ही पुनः विभाजन की डिक्री जारी करने की क्या आवश्यकता हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा तथ्यों को छुपा कर वाद में निर्णय व डिक्री पारित होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए संशोधन की डिक्री पारित करवाई गई है। जिसे प्रस्तुत करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं थे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही बस्ती चौहानान के खसरा नम्बर 41 तादादी 8.19 हेक्टर बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही बस्ती चौहानान के खसरा नम्बर 41 तादादी 8.19 हेक्टर स्थिति है। उक्त भूमि बाबत् अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए का प्रस्तुत किये जाने व बंटवारा एवं चिरनिषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। जिस पर वादी का 1.27 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2.47 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 0.53 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 0.76 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1.90 हेक्टर हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1.26 हेक्टर हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर सभी पक्षकार अपने–अपने हक व हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण वादी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करने की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–07–2015 को दावे में वर्णित कब्जे काश्त व दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार वादी के हक व हिस्से तक विभाजन की डिक्री पारित कर दी गई। उक्त डिक्री पारित करते समय भी अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं था। उल्लेखनीय है कि पूर्व आदेश जारी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जवाब हेतु निर्धारित थी तथा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट को बिना सूचना व नोटिस प्रदान किये उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट हेतु निर्धारित कर दी गई। तदुपरान्त पत्रावली पर स्टेट का जवाब तो प्राप्त कर लिया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई जवाब पत्रावली पर लिये बिना व अपीलांट को जवाब/सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश दिनांक 25–06–2015 पारित करते हुए डिक्री दिनांक 03–07–2015 पारित कर दी गई। तत्समय अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं था। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–07–2015 को कैम्प कोर्ट में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 की गैर मौजूदगी में निर्णय व डिक्री पारित करने के उपरान्त पुनः अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत पुनः विभाजन की डिक्री जारी कर दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–03–2015 को अपीलांट् के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि अपीलांट को न तो अपीलांट को कैम्प कोर्ट कोई नोटिस दिया गया व दिनांक 22–05–2015 को एक नोटिस प्राप्त होने पर कैम्प गजनेर (चाण्डासर) में हाजिर आने पर अपीलांट द्वारा राजीनामें से इंकार किया तथ जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.04 16:29:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: